

शासनादेश संख्या-139/XX(8)/24-27(रा0आ0)/2018, दिनांक 24.11.2024 में संदर्भित संलग्न प्रारूप-1 :-

प्रारूप-1

“उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023” के प्राविधानानुसार चिन्हित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर श्री/सुश्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री.....  
.....निवासी.....तहसील.....जिला.....  
.....शासनादेश संख्या-777/XX(4)/26/उ0आ0/2006-08, दिनांक 22.10.2008,  
शासनादेश संख्या-178-2/XX(4)/26/उ0आ0/06/09, दिनांक 28.02.2009, शासनादेश  
संख्या-1401/बीस-4/2015-3(26)/2006, दिनांक 25.02.2015, शासनादेश संख्या-1521/बीस-  
4/2017-9(उ0रा0आ0)2016, दिनांक 03.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-1192/बीस-4/2017-  
3(13)/2011, दिनांक 01.12.2017 में विहित चिन्हीकरण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार उत्तराखण्ड  
राज्य आन्दोलनकारी के रूप में चिन्हित होने के दृष्टिगत “उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित  
आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023” के प्राविधानानुसार  
राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से आच्छादित होते हैं।

दिनांक.....

जिलाधिकारी

जनपद.....

मोहर.....

शासनादेश संख्या-139 / XX(8)/24-27(रा0आ0) / 2018, दिनांक 24.11.2024 में संदर्भित संलग्न प्रारूप-2 :-

प्रारूप-2

"उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023" के प्राविधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों के आश्रितों यथा स्थिति पत्नी अथवा पति, पुत्र एवं पुत्री (जिसमें विवाहित, विधवा, पति द्वारा परित्यक्त, तलाकशुदा पुत्री भी सम्मिलित हैं) को राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर श्री/सुश्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री.....  
..निवासी.....तहसील.....जिला.....  
.....शासनादेश संख्या-777 / XX(4)/26 / उ0आ0 / 2006-08, दिनांक 22.10.2008, शासनादेश संख्या-178-2 / XX(4) / 26 / उ0आ0 / 06 / 09, दिनांक 28.02.2009, शासनादेश संख्या-1401 / बीस-4 / 2015-3(26) / 2006, दिनांक 25.02.2015, शासनादेश संख्या-1521 / बीस-4 / 2017-9(उ0रा0आ0)2016, दिनांक 03.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-1192 / बीस-4 / 2017-3(13) / 2011, दिनांक 01.12.2017 में विहित चिन्हीकरण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार राज्य आन्दोलनकारी चिन्हित किये गये हैं तथा श्री/सुश्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति के रूप में उक्त संदर्भित राज्य आन्दोलनकारी के आश्रित हैं।

दिनांक.....

जिलाधिकारी

जनपद.....

मोहर.....